प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक-16.04.2025

जनपद अम्बेडकरनगर थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा मिथ्या लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 76/25 धारा 303(2), 229(1), 317(2), 217(क) बीएनएस से सम्बन्धित एक नफर अभियुक्त/मुकदमा वादी इन्द्रजीत पुत्र रामअचल को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री केशव कुमार के निर्देशानुसार जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियो पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु व वाछिंत अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे थाना राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.04.2025 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-76/25 धारा-303(2), 351(3) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त/ मुकदमा वादी इन्द्रजीत पुत्र रामअचल नि0ग्राम जहांगीरगंज थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर को जुर्म धारा 303(2), 229(1), 317(2), 217(क) बीएनएस मे समय करीब 22.35 बजे भूपतपुर कोडरहा पदुमपुर मार्ग पर रामजन्म ईट भट्ठे के पास से गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त/मुकदमा वादी इन्द्रजीत उपरोक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित एक अदद काला पर्स व 1120 रुपये बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 07.04.2025 को अभियुक्त/वादी मुकदमा इन्द्रजीत पुत्र रामअचल नि0ग्राम जहांगीरगंज थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा डायल 112 पर पैसा चोरी होने के सम्बन्ध मे सूचना दी गयी व थाना स्थानीय पर आकर तहरीर दी की दो मोटरसाइकिल सवार अज्ञात चार अभियुक्तों द्वारा वादी को झगड़े में उलझाकर पाकेट में रखा 26,000 रुपया चोरी कर ले जाने व देख लेने की धमकी देने के सम्बन्ध में दिया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 76/2025 धारा 303(2), 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 शैलेन्द्र चौधरी द्वारा संपादित की गयी व अज्ञात अभियुक्तों की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया जिसमे आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए राजेसुल्तानपुर पुलिस टीम द्वारा सीडीआर व सीसीटीवी फुटेज व गवाहो व मुखबिर के माध्यम से तलाश की गयी किन्तु उपरोक्त घटना का होना नही पाया गया। बल्कि अभियुक्त / मुकदमा वादी द्वारा खुद के उधार लिये पैसे का ब्याज का पैसा चुकाना न पड़े इसलिये खुद ही मनगढ़न्त व झूठी घटना दिखाकर तहरीर देकर मुकदमा लिखाया गया। झूठी मनगढ़न्त घटना दिखाने व लोक सेवक की शक्तियों का गलत प्रयोग करने का आशय पाये जाने पर व मुकदमा वादी के ही कब्जे से घटना से संबंधित एक अदद पर्श व 1120 रुपये प्राप्त होने पर व इस संबंध मे वादी के कबूलनामा के आधार पर अभियुक्त/मुकदमा वादी को अभियोग उपरोक्त मे जुर्म धारा 303(2), 229(1), 317(2), 217(क) बीएनएस मे गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेशकर जेल भेजा जा रहा है।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इन्द्रजीत पुत्र रामअचल नि0ग्राम जहांगीरगंज थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी स्थान– भूपतपुर कोडरहा पदुमपुर मार्ग पर रामजन्म ईट भट्टे के पास,
गिरफ्तारी दिनांक – 15.04.2025 **समय** – रात्रि 22.35 बजे।

बरामदगी – 1. एक अदद काला पर्स व 1120 रुपये।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त – इन्द्रजीत पुत्र रामअचल

1. मु0अ0सं0 76/25 धारा 303(2), 229(1), 317(2), 217(क) बीएनएस थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शैलेन्द्र चौधरी थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
2. हे0का0 रामजीत यादव थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर
3. का0 बृजेश सिंह यादव थाना आलापुर जनपद अम्बेडरनगर
4. का0 सुनील सिंह यादव थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर
5. का0 कुनाल यादव थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर